

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 22/2016 (जी.सी.एम.एस. 2016/00282)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कुलवीर सिंह पुत्र सुविन्द सिंह जाति जटसिख निवासी चक 38 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर हाल निवासी मकान न. 1134 सेक्टर न. 21 बी चण्डीगढ़ (पंजाब)		1. जगशरण सिंह पुत्र दीदार सिंह लखरदार जाति जटसिख निवासी चक नुशरा पन्नुआ डाकखाना खास तहसील व जिला तरनतारन (पंजाब) 2. महेंद्र कौर बेवा दीदार सिंह लखरदार जाति जटसिख निवासी चक नुशरा पन्नुआ डाकखाना खास तहसील व जिला तरनतारन (मुक्त) 2/1 गुरविन्द सिंह पुत्र जगशरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक नुशरा पन्नुआ डाकखाना खास तहसील व जिला तरनतारन। 2/2 विरेन्द्र सिंह पुत्र जगशरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक नुशरा पन्नुआ डाकखाना खास तहसील व जिला तरनतारन। 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जंग्से तहसीलदार राजस्य श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु:- 17.03.2016

उपस्थित: 1. श्री अशोक जोशी, अधिवक्ता वादी

2. श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

—निर्णय—

दिनांक: 30/03/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अन्यान्य प्रकरण में पारित निर्णय एवं प्रार्थमिक डिक्री में तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्रार्थमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस उभय पक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस उभय पक्ष अधिवक्तागण एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना उचित समझते है।

—आदेश—

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्य ग्राम चक 38 एफ पटवार हल्का धरिगावाली, मू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में मावन्दी सम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 19/18 के मु.न. 42, 49, 56/23 की कुल



उपखण्ड अधिकारी (राजस्य)
श्री चण्डीगढ़

12.653 हेक्टेयर नहीं मय मरमुन्वीकन खाता भूमि में जारी व प्रतियोगी लक्षण है-
 के एक हिस्से की भूमि का बंटवारा जमीन विभाजन निम्नलिखित रूप से किया जाता है-


समा खातेदारान मय खोलवगत सकूनत	राज स्व धाम	मु. न	खिला न.	रकबा	खिलम	लमान
1. सुधीर सिंह पुत्र सुविन्द सिंह जटिसिख निवासी चक 38 एक तहसील श्रीकरणपुर जिला मन्वान नम्बर 1134 क्षेत्रा नम्बर 21 की एकीकरण (6.368 हेक्टेयर)	38 एक	49	1 ता 25	6.200 हेक्टेयर	लहरी	50.16
			5	0.008 हेक्टेयर	लहरी	0.06
			6	0.008 हेक्टेयर	लहरी	0.06
			15	0.008 हेक्टेयर	लहरी	0.06
			16	0.009 हेक्टेयर	लहरी	0.07
			25	0.009 हेक्टेयर	लहरी	0.07
				0.126 हेक्टेयर	मे.सु.खा	0.09
2. जगदीश सिंह पुत्र दीदार सिंह तहसील जटिसिख निवासी जगदीश पन्नुआ हाकखाना खास तहसील व जिला तरनतारन (3.881 हेक्टेयर)	38 एक	42	1 ता 25	6.158 हेक्टेयर	लहरी	49.82
				0.127 हेक्टेयर	मे.सु.खा	0.09

चक 38 एक के मुरब्बा नम्बर 49 के काश्तकार मुरब्बा नम्बर 42 के खिला नम्बर 5 की 0.008 हेक्टेयर, खिला नम्बर 6 की 0.008 हेक्टेयर, खिला नम्बर 15 की 0.008 हेक्टेयर, खिला नम्बर 16 की 0.009 हेक्टेयर, खिला नम्बर 25 की 0.009 हेक्टेयर, कुल 0.042 हेक्टेयर भूमि का रूप में उपयोग करेगा। शेष खाता एवं रहन बदनलूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी दरासद किया जावे। स्टाम्प इयूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीकड किया जावे। पत्रावलीकड व पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावलीकड लम्बुनार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जावता दाखिल दफ्तर / लेख भण्डार जमा


 {सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30/03/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर्रे इंजलास मुनाया गया।


 {सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर

